

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3, नरेगा)



क्र. एफ 10(9)ग्रावि/नरेगा/सहा.कार्य.अधि./2010

जयपुर, दिनांक: 18 AUG 2011  
19 AUG 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,  
उदयपुर।

विषय: महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पंचायत समिति में सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पदों को संविदा के आधार पर अनुबंधित करने बाबत।

संदर्भ: इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ 10(9)ग्रावि/नरेगा/सहा.कार्य.अधि./2010 दिनांक 29.04.2011 एवं दिनांक 29.06.2011

महोदय,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उदयपुर ने इस संबंध में मार्गदर्शन चाहा है कि जिन कार्यक्रम अधिकारियों ने उनको हटाने के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर स्थगन प्राप्त कर रखा है एवं अभी तक उस याचिका का निर्णय नहीं हुआ है तथा याचिका में स्थगन प्रभावी है, तो क्या उन पदों को भी भरा जाना है।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जिन कार्यक्रम अधिकारियों ने उनको हटाने के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर स्थगन प्राप्त कर रखा है तथा स्थगन अभी प्रभावी है, ऐसे प्रकरणों में उन कार्यक्रम अधिकारियों को न तो हटाया जावे, न ही उनके स्थान पर सहायक कार्यक्रम अधिकारियों की भर्ती की जावे। ऐसे प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ही आगे कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीय,

17/8/11  
(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि:—

1. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस